भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2430
04.08.2025 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण

2430. सुश्री महुआ मोइत्राः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा सांविधिक रूप से अधिदेशित "वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों" के विनियमन का प्रस्ताव नहीं करने के इसके बजाय सिंधु-गंगा के मैदान में बड़ी मात्रा में प्रदत्त ऋण द्वारा 'एयर शेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी' के साथ प्रयोग करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वायु अधिनियम, 1981 में बदलाव करने और वायु प्रदूषण, जो जन स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक खतरनाक और जानलेवा साधन बन गया है, को रोकने के लिए केवल कार्यक्रमात्मक दृष्टिकोण से हटकर काम करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार देश के लिए एक सुदृढ़ तटीय प्रबंधन अधिनियम लाने का प्रस्ताव कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या सरकार का बेलगाम और अनियोजित विकास को रोकने के लिए भूमि की उपयोगिता को सबसे कुशल तरीके से समझने और तय करने हेतु राज्य भूमि उपयोग बोर्डों (एसएलयूबी) को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का सभी राज्यों को जैव विविधता विरासत नियम बनाने और जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 के अंतर्गत जैव विविधता विरासत स्थलों के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार करने की सिफारिश करने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का जैव विविधता विरासत को संरक्षित करने के लिए मजबूत ढांचे के साथ जैव विविधता प्रभाव आकलन प्रक्रिया को लागू करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन, जो कतिपय अवसंरचनात्मक रेल और सड़क परियोजनाओं को प्रदान करता है, पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) तथा (ख) : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर देश में अत्यधिक प्रदूषित और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों का सीमांकन किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को अत्यधिक प्रदूषित और गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में सीईपीआई अंको को कम करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने और उसे लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड, राज्य सरकारों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के लिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इसके उपशमन हेतु पर्याप्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

उक्त अधिनियम के तहत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने, वायु गुणवत्ता के मानक निर्धारित करने और अपने कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयोगशालाएँ स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। सीपीसीबी वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को सुझाव भी देता है।

इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने या किसी भी वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में परिवर्तन करने का सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ऐसे वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में प्रयुक्त किसी भी उपकरण के उपयोग को विनियमित और प्रतिबंधित करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। साथ ही, राज्य सरकार ऐसे वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में अनुमोदित ईंधनों के अलावा किसी भी अन्य ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है।

उक्त अधिनियम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसी भी उद्योग को चलाने के लिए स्थान की उपयुक्तता से संबंधित मामलों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने, वायु गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करने, औद्योगिक संयंत्रों और ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन के लिए मानक या किसी अन्य स्रोत से प्रदूषक के निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों का निरीक्षण करने, वायु प्रदूषण के नियंत्रण और उपशमन के लिए व्यापक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने, सहमति के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण को विनियमित करने और वायु प्रदूषण से संबंधित जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने का अधिदेश प्रदान किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया और इसका उद्देश्य 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लक्ष्य को प्राप्त न करने वाले 130 शहरों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।

वायु गुणवत्ता सुधार मानदण्डों को लागू करने हेतु प्रमुख अंतराल वित्त पोषण के रूप में, वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक 130 शहरों को ₹13,036.52 करोड़ का प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रदान किया गया है। एनसीएपी के तहत 130 शहरों द्वारा की गई केंद्रित कार्रवाइयों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिनमें से 103 शहरों में वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2024-25 में पीएम10 सांद्रता में कमी हुई है। इनमें से 64 शहरों में पीएम10 के स्तर में 20% से अधिक की कमी हुई है और इनमें से 25 शहरों में 40% से अधिक की कमी हुई है। कुल 22 शहरों ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) को पूरा किया है और इनमें पीएम10 सांद्रता 60 मिग्रा/मीटर^3 से कम है।

इसके अलावा, यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की विभिन्न स्कीमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत, स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम ई-बस सेवा, किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (सतत), और नगर वन योजना के साथ-साथ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, नगर निगमों और अन्य विकासात्मक प्राधिकरणों के संसाधनों के कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से संसाधनों के जुटाव का लाभ उठाता है। एनसीएपी के तहत, 41 लक्षित शहरों की शहरी कार्य योजना को लागू करने के लिए 8 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 5,318 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की गई है जो सिंधु-गंगा के मैदान का

हिस्सा हैं। इसके अलावा, वायु गुणवत्ता सुधार उपायों को लागू करने के लिए आईजीपी क्षेत्र के सभी 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राज्य कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

एनसीएपी के साथ-साथ केंद्र सरकार की स्कीमों के तहत उपलब्ध कराई गई धनराशि के अलावा, राज्य सरकारें, यदि आवश्यक हो, तो शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और वायु प्रदूषण के उपशमन उपायों को लागू करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हरित नगरपालिका बॉन्ड, हरित ऋण प्रतिभूतियां, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं और सॉफ्ट लोन जैसे विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से संसाधन जुटा सकती हैं।

(ग) : पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्ष 1991 से तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना को क्रियान्वित कर रहा है। इसे बाद में सीआरजेड/आईपीजेड अधिसूचना, 2011 और तत्पश्चात सीआरजेड/आईसीआरजेड अधिसूचना, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के संरक्षण और प्रबंधन पर अधिक जोर देता है।

वर्ष 2019 की अधिसूचना के तहत, सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं (सीजेडएमपी), द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र योजनाओं (आईसीआरजेडपी), या एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाओं (आईआईएमपी) को अद्यतन प्रावधानों के अनुसार संशोधित और अद्यतन करना होगा और उन्हें मंत्रालय के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना होगा। जब तक इन योजनाओं को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक वर्ष 2011 की अधिसूचना के प्रावधान लागू रहेंगे। अब तक, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के लिए सीजेडएमपी और ग्रेट निकोबार और लिटिल अंडमान के लिए आईसीआरजेडपी को मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 की अधिसूचना के तहत अनुमोदन दिया जा चुका है।

(घ) : राज्य भूमि उपयोग बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा संबंधित नगर नियोजन और भूमि विकास कानूनों के तहत गठित किए जाते हैं। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने भूमि उपयोग नियोजन सहित सतत क्षेत्रीय और शहरी नियोजन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु 'शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश' जारी किए हैं।

(ङ), (च) और (छ) :

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (यथा संशोधित 2023) की धारा 37, राज्य सरकार को राज्य जैव विविधता बोर्ड की अनुशंसाओं के आधार पर जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार देती है। इसके अतिरिक्त, धारा 37 राज्य सरकार को केंद्र सरकार के परामर्श से सभी जैव विविधता विरासत स्थलों के प्रबंधन और संरक्षण हेतु नियम बनाने का अधिकार देती है।

उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (4) का खंड (i) केंद्र सरकार को किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के लिए उपाय करने का अधिदेश देता है, जिसका जैविक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, ताकि जहां भी आवश्यक हो, ऐसे प्रभावों से बचा जा सके या उन्हें कम किया जा सके और जहां ऐसे आकलन के लिए उपयुक्त हो वहां जन भागीदारी का प्रावधान किया जा सके।

*****